श्रीमान जन सुचना अधिकारी
मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ

Registered
Reminder

श्रीमान जी मैंने दिनांक - 29-12-2023 को सुचना का अधिकार अधिनियम - 2005 के तहत एक आवेदन किया था। दिनांक 2-1-2024 को को मौबाइल सं० 9358346844 से फोन आया कि मैं जन सुचना अधिकारी, मेरठ विकास प्राधिकरण से बोल रहा हुं। आपने मानचित्र संख्या 60, 61 व 62 की सुचना उपलब्ध कराने का आवेदन किया है। इन तीनो मानचित्रो की आवश्यकता किस लिए है मैंने जवाब दिया कि मुझे दिनांक 30-1-2024 को प्रिंसीपल बैन्च, नैशनल ग्रीन ट्रिब्युनल, नई दिल्ली मे दिखाना है इतना सुनते ही फोन बन्द कर दिया और इस नम्बर पर फोन मिलाने पर बिजी बता रहा है यानि कि मेरा नम्बर ब्लोक कर दिया है

आज 21 दिन बीतने के बाद भी मानचित्र सं० - 60, 61 व 62 की छाया प्रति उपलब्ध नही करायी गयी है।

आपसे प्रार्थना है कि 30 जनवरी 2024 से पहले मानचित्र संख्या 60, 61 व 62 देने की कृपा करें और अगर आपने 30 जनवरी 2024 से पहले मानचित्र संख्या 60, 61 व 62 नही दिये तो यह माना। समझा जायेगा कि साजिश। षडयंत्र के तहत मानचित्र संख्या - 60, 61 व 62 जानबुझ कर नही दिये जा रहे है।

पत्र के साथ दिनांक - 29-12-2023 का प्रार्थना पत्र भी दे रहा हुं।

दिनांक - 18-1-2024

आवेदक
चन्द्र शेखर गुप्ता
S/o स्व० श्री किशन गुप्ता
103, गली नं० 3, साईपुरम
दिल्ली रोड, मेरठ (उ० प्र०)

(C.S Gupta)

M.No - 8630828853

C.C. To, - प्रिंसीपल बैन्च
नैशनल ग्रीन ट्रिब्युनल
नई दिल्ली

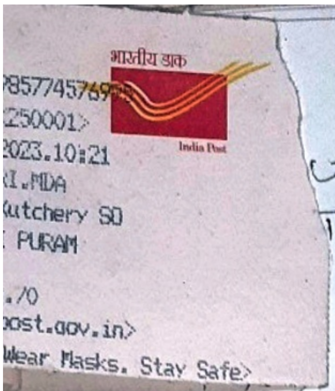

Registered Post

जन सुचना अधिकारी
...लिय मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ उत्तर प्रदेश-250003
... अधिकार अधिनियम-2005 की धारा-2 (एफ० आई० जे०)
10 आर 22 के अन्तर्गत सुचना प्राप्ति हेतु आवेदन

श्रीमान जी

1. मानचित्र सख्याँ-60 की सर्टीफाइड कापी दे व मानचित्र सं०-60 की कालोनी का नाम पते की जानकारी दें।

2. मानचित्र सख्याँ-61 की सर्टीफाइड कापी दे व मानचित्र सं०-61 किस कालोनी के लिए स्वीकृत है जानकारी दें।

3. मानचित्र सख्याँ-62 की सर्टीफाइड कापी दें और मानचित्र सख्याँ-62 किस कालोनी के लिए स्वीकृत है पुर्ण जानकारी दें।

आवेदक पत्र के साथ शुल्क के रूप में दस रूपये सख्याँ 47B-672320 संलग्न कर रहा हुँ।

आवेदक

दिनांक- 29-12-2023

चन्द्र शेखर गुप्ता

C.S. Gupta

103, गली नं०-3
सांई पुरम, दिल्ली रोड
मेरठ, उत्तर प्रदेश-250003
8630828853
...upta9566@g.mail.com